न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 104/2012

1. राजराम
2. धन्नाराम
3. मनीसिंह
4. मानसिंह

पुत्रान उदयसिंह

5. भंवरबाई बेवा लालाराम
6. लखन
7. रमेश
8. बटोई
9. पप्पू

पिसरान लालाराम

10. भूरी
11. नरसी

पुत्रान लालाराम नाबालिगान जरिये संरक्षक मॉ भंवरबाई बेवा लालाराम समस्त जाति मीना निवासीयान रसियापुरा तहसील करौली जिला करौली।

अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल, जिला करौली।
2. हरी
3. भंवर
4. विस्पतिया
5. काडू
6. सज्जनलाल

पिसरान सूसरिया

7. जलसिंह पुत्र रामलाल
8. पप्पू
9. कमरलाल
10. महेन्द्र पिसरान भवूती सभी जाति जाटव निवासी गढी का गांव तहसील मण्डरायल जिला करौली।

(अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उप जिला कलक्टर मण्डरायल मु0न0 10/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2012)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटस की ओर से श्री श्याम बाबू शर्मा
2. रेस्पो0 सं0 1 की ओर से पैरोकार उपस्थित
3. रेस्पो0 की ओर से श्री विष्णु चन्द बंसल

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 14.12.2021.

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 10/2011 निर्णय व डिग्री दिनांक 11.05.12 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ

Scanned with CamScanner

न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 अन्तर्गत एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा ग्राम कंचनपुर तहसील मण्डरायल में स्थित है। उक्त आराजी दिनांक 29.10.1975 से पूर्व रामहेत पुत्र लच्छीराम जाति मीणा निवासी कंचनपुर के खातेदारी में दर्ज रही है। खातेदार रामहेत ने दिनांक 29.10.1975 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 59 व 60 का बयनामा अवैधानिक तौर पर धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन करते हुए थोलू पुत्र चुन्नी जाति जाटव निवासी गढी का गांव को राशि 1500/— रूपये में विक्रय कर पंजियन सब रजिस्ट्रार मण्डरायल में करा कर आराजियात पर अवैध तौर पर कब्जा थोलू का करा दिया जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 14.09.2010 को भैरोलाल पुत्र लोहरे जाति माली निवासी गढी का गॉव के आवेदन देने पर व बयनामा की फोटो प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर हुई है। तब यह वाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रामहेत पुत्र लच्छीराम खातेदार विक्रेता आराजीयात का जाति से मीणा है और अनुसूचित जन जाति का सदस्य है और केता थोलू पुत्र चुन्नी जाति से जाटव है और अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। खातेदार रामहेत मीणा द्वारा थोलू जाटव को किया गया विक्रय बयनामा विवादित आराजीयात का धारा 42 आर.टी. एक्ट का उल्लंघन कर दिया गया है जो अवैध है। रामहेत को थोलू को आराजियात को विक्रय करने का एवं बयनामा पंजियन कराने का हक नहीं है। इसलिए वादी विवादित आराजीयात को सिवायचक घोषित कराने का अधिकारी है। खातेदार रामहेत का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी एकमात्र पुत्री का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी नं0 1 ता 11 मृतक रामहेत व कला के वारिसान है एवं केता थोलू का भी स्वर्गवास हो चुका है। उसके लडके सूसरिया, रामलाल, भबूतिका भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी नं0 12 ता 20 थोलू के वारिसान है। और आराजियात पर काबिज है। इसलिए प्रतिवादी नं0 1 ता0 20 को प्रतिवादीगण बनाया गया है। अंत में दावा वादी डिकी कर विवादित भूमि को सिवायचक घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को पाबंद कराने की इस्तदुआ चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपी0/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.05.2012 कानून के विपरीत है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा ग्राम कंचनपुर तहसील मण्डरायल में स्थित है जो अपीलांट सं0 01 लं0 11 के नाना रामहेत पुत्र लच्छी जाति मीणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निवासी कंचनपुर की खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही है। रामहेत के फौत होने के बाद उसकी एक मात्र पुत्री कला के नाम विरासत से खातेदारी आयी है जो अपीलांट नं0 01 ल0 4 की मॉं व 5 ल0 11 की दादी थी कला के फौत होने के बाद उक्त जमीन को अपीलांट काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर काबिज है। जमाबंदी एवं गिरदावरी में अंकन है। उक्त आराजी से रेस्पो0 सं0 01 ल0 10 का किसी प्रकार का कोई संबंध व ताल्लुक ना कभी रहा है ना ही उक्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त में पीढी दर पीढी चली आ रही है। अपीलांट के नाना रामहेत की चली आ रही है। रामहेत ने उक्त आराजी को कभी भी दिनांक 29.10.1975 को 1500/—रूपये में थोलू पुत्र चुन्नी जाटव निवासी गढी का गांव को विक्रय नहीं किया ना ही बयनामा उसके हक में तस्दीक कराया ना ही थोलू व रेस्पो0 2 ल0 10 ने काश्त किया है ना ही कभी काबिज रहे है। सारे तथ्य तहसीलदार लैण्ड होल्डर मण्डरायल ने गलत दर्ज कराये है अपीलांट के नाना रामहेत के धारा 42 आर.टी.एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं किया है क्योकि कभी भी रामहेत ने उक्त आराजी का विक्रय नहीं किया बयनामा की सारी फर्जी कार्यवाही है जो अपीलांट पर बेअसर है उक्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त की है। विवादित आराजी को रामहेत ने कभी नहीं बेचा क्योंकि की रामहेत सन् 1975 से पूर्व से ही बीमार चल रहा था, उसकी चलने फिरने की शाक्ति नहीं थी, स्मरण शक्ति क्षीण हो गयी थी, उसकी पुत्री कला ने उसकी सेवाचाकरी की और उसी समय फौत हो गये। वह कभी भी सब रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्री कराने नहीं गया, ना ही असने कोई बयनामा पर हस्ताक्षर निशानी किये, अदालत मातहत ने इस बात पर भी कोई गौर नहीं फरमाया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार को उक्त जमीन के बारे में पूरा इल्म था क्योंकि अपीलांट का नाना रामहेत उक्त आराजी को काश्त करता रहा एवं लगान सरकार में जमा कराता रहा है यदि बयनामा उसने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कराने के लिये पेश किया होता तो उसी समय सेक्शन 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन देखते हुऐ, बयनामा तस्दीक नहीं करना चाहिये था, सब रजिस्ट्रार को व लैण्ड होल्डर को बयनामा होने की तारीख से यदि बयनामा का पूर्ण इल्म था तो उसी समय धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही अमल में लायी जा सकती थी किन्तु 36 साल तक लगातार रेस्पो0 के शांत रहने व अपीलांट के नाना रामहेत व उसकी पुत्री कला व अपीलांट के काश्त करने तक कभी भी कोई ऐतराज रेस्पो0 सं01 व अन्य रेस्पो0 ने ऐतराज नहीं किया 175 आर.टी.एक्ट के मुकदमा करने की मियाद 30 साल होती है 30 साल के अंदर कोई भी मुकदमा 175 आर.टी.एक्ट का रेस्पो0 नं0 1 ने नहीं किया और 36 साल बाद मियाद निकल जाने के बाद यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जो कानून के विपरीत है और निर्णय खारिज किये जाने योग्य जो विधि विरूद्ध होकर [illegible] अधिकारो का हनन करने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी गलत कार्यवाही मात्र है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधिनरथ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

4. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, खसरा नम्बर

Scanned with CamScanner

60 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 विस्वा ग्राम कंचनपुर पटवार हल्का लांगरा तहसील मण्डरायल में स्थित है। उक्त आराजी दिनांक 29.10.1975 से पूर्व रामहेत पुत्र लच्छीराम जाति मीणा निवासी कंचनपुर के खातेदारी में दर्ज रही है। खातेदार रामहेत ने दिनांक 29.10.1975 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 59 व 60 का बयनामा अवैधानिक तौर पर धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन करते हुए थोलू पुत्र चुन्नी जाति जाटव निवासी गढी का गांव को राशि 1500/- रूपये में विक्रय कर पंजियन सब रजिस्ट्रार मण्डरायल में करा कर आराजियात पर अवैध तौर पर कब्जा थोलू का करा दिया जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 14.09.2010 को भैरोलाल पुत्र लोहरे जाति माली निवासी गढी का गॉव के आवेदन देने पर व बयनामा की फोटो प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर हुई है। तब यह वाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रामहेत पुत्र लच्छीराम खातेदार विक्रेता आराजीयात का जाति से मीणा है और अनुसूचित जन जाति का सदस्य है और केता थोलू पुत्र चुन्नी जाति से जाटव है और अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। खातेदार रामहेत मीणा द्वारा थोलू जाटव को किया गया विक्रय बयनामा विवादित आराजीयात का धारा 42 अधिनियम, 1955 का उल्लंघन कर किया गया है जो अवैध है। रामहेत को थोलू को आराजियात को विक्रय करने का एवं बयनामा पंजियन कराने का हक नहीं है। इसलिए वादी विवादित आराजीयात को सिवायचक घोषित कराने का अधिकारी है। खातेदार रामहेत का स्वर्गवास हो चुका है और उसकी एकमात्र पुत्री का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी नं0 1 ता 11 मृतक रामहेत व कला के वारिसान है एवं केता थोलू का भी स्वर्गवास हो चुका है। उसके लडके सूसरिया, रामलाल, भबूतिका भी स्वर्गवास हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिग्री पारित की है। वह विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि निहित नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली पर उप पंजीयक मण्डरायल द्वारा पंजीकृत बेचाननामा उपलब्ध है जिसमें रामहेत पुत्र लच्छी राम जाति मीणा निवासी कंचनपुरा द्वारा विवादित आराजी को थोलू पुत्र चुन्नी जाति चमार को बेचान किये जाने का अभिकथन किया है। बेचाननामा पंजीकृत है एवं दो साक्षी के हस्ताक्षर भी है। इस कारण विक्रय पत्र संदेह नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र गवाह डी.डब्ल्य–3 भौरेलाल पुत्र रामजीलाल ने [illegible] आराजी पर कब्जा प्रति0सं0 12 ल0 20 का बताया है। प्रस्तुत दस्तावेज बयनामा [illegible] व मौखिक साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित है कि विवादित [illegible] रामहेत मीणा [illegible] अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है, के द्वारा थोलू पुत्र चुन्नी जो कि अनुसूचित [illegible] व्यक्ति है, को प्रतिफल लेकर बेचान किया है। यह बेचान अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:13 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

किया जाना उचित है। अधिनिस्थत न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.05.2012 तनकीवार विवेचन, विश्लेषण सहित विधि सम्मत तरीके से पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, मण्डरायल के मु0नं0 10/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2012 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.1.21

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner